रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम०-14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 21 नवम्बर, 1985/30 कार्तिक, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

जांच आयोग

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पलैक्स, मण्डी-175001

सार्वजनिक सूचना

मण्डी, 29 अक्तूबर, 1985

1. चूंकि हिमाचल सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 60) के अधीन अधिसूचना संख्या होम (ए)ए(9)25/84 दिनांक 24-5-1985 द्वारा कुछ विशेष सार्वजनिक महत्व के विषयों जो झनडूता यू को बैंक में हुई, सशस्त्र डकैती के बाद झनडूता के निवासियों तथा पब्लिकमैन द्वारा किए गए धरनों व प्रदर्शनों से तथा 18-9-1984 सायंकाल 6 बजे पुलिस द्वारा क्षुब्ध भीड़ पर गोली चलाने से घायल हुए तीन व्यक्तियों तथा एक सिपाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं कि जांच के उद्देश्य से जांच आयोग कि नियुक्ति की है।

तथा चूंकि उसी अधिसूचना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने उक्त जांच आयोग अधिनियम के अधीन श्री एम० आर० वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डी को निम्नलिखित विषयों की जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक सदस्य आयोग के रूप में नियुक्त किया है :—

(क) तथ्य तथा परिस्थितियां जिनके परिणाम स्वरूप झनडूता में धरने, मोर्चे, एसैम्बलियां तथा रैलियां आदि आयोजित की गई।

2360-राजपत्र/85-21-11-85—1,176.

मूल्य : 21 पैसे।

(ख) जनसाधारणा, आन्दोलक तथा कथित धरनों, मोर्चों, एसैम्बलियों तथा रैलियों के आयोजकों द्वारा आन्दोलकों को उत्साहित किए जाने वाले जो कार्य किए गए तथा पुलिस द्वारा इस घटना से सम्बन्धित की गई गिरफ्तारियों।

(ग) पुलिस द्वारा परिस्थिति का नियन्त्रण तथा नियन्त्रण करने के लिए इस्तेमाल किए गए साधन तथा शक्ति का औचित्य।

(घ) क्या 18-9-1984 को गोली चलाया जाना परिस्थिति के सुधारने के अनुकूल था।

(ङ) कोई अन्य विषय जो आयोग के मत के अनुसार उक्त घटना के तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत हो।

तथा चूंकि आयोग उक्त विषयों से सुसंगत तथ्यों तथा परिस्थितियों जैसी की आयोग के सम्मुख किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा निर्धारित फार्मों तथा शपथ-पत्रों सहित प्रस्तुत की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सम्बन्धित सूचना जिसे आयोग के ध्यान में लाया जावे के सम्बन्ध में जांच करेगा।

अब इसलिए यह सूचना उक्त आयोग के आदेशों द्वारा जारी की जाती है और ऐसे सभी व्यक्तियों अथवा संगठनों, जिन्हें इस विषय में किसी तथ्य या आरोप की जानकारी हो, से आग्रह किया जाता है कि इस विषय के सम्बन्ध में तथ्यों, आरोपों अथवा किसी जानकारी का उल्लेख निम्नलिखित विधि से प्रस्तुत करे :—

(क) प्रत्येक कथन-पत्र अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में होगा;

(ख) सभी कथन-पत्र प्रथम पुरुष के रूप में तैयार किए जाएंगे तथा उन्हें क्रमानुसार पैरा में विभक्त किया जाएगा, प्रत्येक तथ्य सम्बन्धी तात्विक कथन को विषय वस्तु का अलग पैरा बनाया जाएगा तथा कथन देने वाला व्यक्ति अपना विवरण व्यवसाय, यदि कोई हो, तथा वास्तविक निवास का ब्यौरा देगा;

(ग) जहां एसा कथन किसी संगठन द्वारा दिया गया हो तो कथन, संगठन के सचिव अथवा इस सम्बन्ध में संगठन की शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उचित मोहर लगा कर दिया जाएगा;

(घ) जहां कथन अभिसाक्षी की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हो तो वह इस प्रकार का उल्लेख करेगा तथा जब कथन अभिसाक्षी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से ली गई सूचना पर आधारित हो तो सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो जिसका परिचय अभिव्यक्त नहीं किया जाना हो तो फाईल का ब्यौरा जिसमें उपलब्ध संगत सूचना हो, का विवरण दिया जाएगा तथा अभिसाक्षी को यह ध्यान देना होगा कि उसके विश्वास के अनुसार सूचना सही है;

(ङ) ऐसे दस्तावेजों की सूची, यदि कोई हो, जिन पर अभिसाक्षी निर्भर करता हो, उन दस्तावेजों की मूल अथवा किसी असली प्रतियों सहित आयोग को अग्रशित करेगा जो कि उसके अधिकार अथवा कब्जे में है तथा किसी दस्तावेज के अभिसाक्षी के कब्ज अथवा, अधिकार में न होने की स्थिति में उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथन में सम्मिलित किया जाएगा जिससे ऐसी दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं।

(च) शपथ-पत्र निम्नलिखित ढंग से सत्यापित किया जाएगा :—

"सत्यापित किया जाता है कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार उपरोक्त शपथ पत्र म परा संख्या ----------में दिए गए कथन सही हैं तथा पैरा संख्या ----------म दिए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं तथा मुझे विश्वास है कि वे सत्य है।"

(छ) आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी शपथ पत्र सक्षम मैजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न ढंग से सत्यापित होने चाहिए:—

"अभिसाक्षी द्वारा मेरे सम्मुख शपथ ग्रहण की गई जिसकी पहचान मेरी सन्तुष्टि के अनुसार ———— द्वारा की गई अथवा मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । शपथ-पत्र अभिसाक्षी के सम्मुख पढ़ा गया तथा उसे पूर्णतः स्पष्ट किया गया उसने उसे सही मानकर इस पर ————————दिन————————1985 को हस्ताक्षर किए हैं।"

कथन-पत्र सचिव, जांच आयोग, जिला न्यायालय भवन, मण्डी–175001 को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सांय 1.00 बजे तक तथा सांय 2.30 बजे से सांय 4 बजे तक प्रस्तुत किए जाएंगे इसके लिए रसीद प्राप्त की जाएगी। कथन-पत्र आयोग के पास 30 नवम्बर, 1985 तक पहुंच जाने चाहिए।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 6, जो अभिसाक्षी को आयोग के सम्मुख सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाहियों के लिए संरक्षण प्रदान करती है, आयोग की सूचना देने में इच्छुक व्यक्तियों की सूचना के लिए नीचे उद्धृत की जाती है :—

"6. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आयोग के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत करते समय दिए गए कथन के लिए अभियोजन अथवा ऐसे कथन के द्वारा झूठ साक्ष्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी :

बशर्ते कि कथन :—
(क) आयोग द्वारा अपेक्षित प्रश्न के उत्तर देने के लिए दिया गया हो, अथवा
(ख) जांच को विषय वस्तु से सम्बद्ध हों"।

दिनांक 29 अक्तूबर, 1985.

एम० आर० वर्मा,
जांच आयोग।

COMMISSION OF INQUIRY, DISTRICT COURT COMPLEX, MANDI, HIMACHAL PRADESH

PUBLIC NOTICE

Mandi, the 29th October, 1985

WHEREAS by notification No. Home(A)-A (9)-25/84 dated the 24th May, 1985, the Government of Himachal Pradesh has appointed a Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952) for the purpose of making inquiry into certain definite matters of public importance arising out of the organising of Dharnas/Processions by local residents of Jhandutta and the public men after the armed robbery in UCO Bank at Jhandutta, and the incident of police firing on the agitating crowed at Jhanduatta on 18-9-1984 at 6.00 P. M. resulting in injuries to three persons and one constable;

AND WHEREAS by the same notification, the Government of Himachal Pradesh has under the said Commission of Inquiry Act appointed Shri M. R. Verma, District and Sessions Judge, Mandi, as one man Commission of Inquiry to enquire into and report on the following

matters:—

(*i*) fact and circumstances leading to the organisation of dharnas, morchas, assemblies and rallies etc. at Jhandutta;

(*ii*) the role played by the public, agitators and organisors of the said dharnas, morchas, assembiles and rallies, to prompt the agitators including the arrests made by police connected with this incident ;

(*iii*) handling of the situation by the police and justification of means employed and force used in such handling ;

(*iv*) whether the firing resorted on 18-9-84 was commensurate with the gravity of the situation to be tackled ;

(*v*) any other matter which in the opinion of the Commission is relevant to the ascertaining of facts relating to this incident.

AND WHEREAS the inquiry by the Commission is to be in regard to the facts and circumstances relevant to the aforesaid matters as may be brought before the Commission by any individual, or organisation, in such form and accompanied by such affidavits as may be prescribed by the Commission and any information received by the State Government and brought to the notice of the Commission.

NOW THEREFORE, this notice is issued by and under the orders of the said Commission inviting all persons, or organisations acquainted with any fact or allegation forming the subject matter of the inquiry to be made by the Commission, to make in the following manner, a statement of facts, setting out therein each item of fact, allegation or information pertaining to such subject matter of inquiry :—

(*a*) the statement should be in the form of an affidavit in English or in Hindi;

(*b*) all statements shall be drawn up in the first person and divided into paragraphs to be numbered consecutively, each material statement of fact being made the subject matter of a separate paragraph , and the person making the statement shall state his description, occupation, if any, and true place of abode ;

(*c*) where any such statement is made by any Organisation, statement should be made by the Secretary of the Organisation or by such other person as may be duly authorised by the governing body of the organisation in this behalf with appropriate seal ;

(*d*) where the statements made are based on the personal knowledge of the deponent, be should so state and where the statement is based on any information derived by the deponent from any other person, the name and address of the informant, or if the informant is a Government official whose identity is not intended to be disclosed, the particulars of the Government file containing the relevant information to the extent available, should be stated and the deponent should state that he believes the information to be true ;

(*e*) a list of documents, if any, on which the deponent proposes to reply, should be forwarded to the Commission alongwith such of the originals or true copies of the documents as are in the posession or power of the deponent, and in the case of any document not in the possession or power of the deponent, the statement should include the names and address of the person from whom such documents may be obtained;

(*f*) the affidavit shall be verified in the following manner :—

"Verified that the statement made in paragraphs No.————————————of the above affidavit are true to my personal knowledge and those in paragraphs Nos.————————————are derived from information received and believed to be true by me."

(*g*) all affidavits submitted to the Commission must be attested by a competent Magistrate or a competent authority in the following manner :—

"Sworn before me by the deponent who is identified to my satisfaction by ——————— or is personally known to me. The affidavit has been read out and explained in full to the deponent who has signed it after admitting it to be correct, this ——— day of ——————————— 1985".

The Statement may be sent to the Secretary to the Commission of Inquiry, District Courts Complex, Mandi by registered post with acknowledgement due or personally handed over to him or some other officer authorised by the Commission in this behalf, on any working day between 10.00 A. M. to 1.30 P. M. or between 2.30 P. M. to 5.00 P. M. and a receipt obtained. The statements should be sent so to reach the Commission by the 30th November, 1985.

Section 6 of the Commission of Inpuiry Act, 1952 which protects deponents, before the Commission from civil or, criminal proccedings is reproduced below for the information of the person intending to furnish information to the Commission:—

"6 No Statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission shall subject him to, or be used against him, in any civil or criminal proceedings except a prosecution for giving false evidence by such statement:

Provided that, the statement—

(*a*) is made in reply to a question which is required by theCommission to answer.

or

(*b*) is relevant to the subject matter of the inquiry ".

Dated Mandi, October 29, 1985.

M. R. VERMA,
Commission of Inquiry,
District Court Complex,
Mandi, H.P.